

## जैव विविधता नियम, 2004

### **प्ररूप 1**

(नियम 14 देखिए)

### **जैव विविधता संसाधनों और सहबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच के लिए आवेदन प्ररूप**

**भाग— क**

1. (i) विभाग की पूर्ण विशिष्टियां  
(ii) नाम :  
(iii) स्थायी पता :  
(iv) भारत में सम्पर्क व्यक्ति/अभिकर्ता, यदि कोई हो का पता :  
(v) संगठन का विवरण (विभाग कोई व्यष्टि है तो उस दशा में व्यक्तिगत विवरण)। कृपया अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें :  
(vi) कारबार की प्रकृति :  
(vii) संगठन का अमेरिकी डालरों में व्यावृत्त :  
2. चाही गई पहुंच की प्रकृति और जैव सामग्री तथा पहुंच किए जाने वाले सहबद्ध ज्ञान के बारे में ब्यौरे और विनिर्दिष्ट जानकारी।  
(क) पहचान (वैज्ञानिक नाम) जैव संसाधनों और पारंपरिक उपयोग की पहचान:  
(ख) प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलीय अवस्थिति:  
(ग) पारंपरिक ज्ञान का वर्णन प्रकृति (मौखिक / दस्तावेजित):  
(घ) पारंपरिक ज्ञान धारित करने वाला कोई पहचाना गया व्यष्टि / समुदाय:  
(ङ.) संगृहीत किए जाने वाले जैव संसाधनों की मात्रा (अनुसूची दें):  
(च) समयावधि जिसमें जैव संसाधनों के संगृहीत किए जाने का प्रस्ताव है:  
(छ) चयन करने के लिए कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम आर संख्या:  
(ज) वह प्रयोजन जिसके लिए पहुंच का अनुरोध किया गया है जिसके अंतर्गत अनुसंधान की प्रक्रिया और विस्तार, व्युत्पन्न होनेवाले वाणिज्यिक उपयोग और उससे व्युत्पन्न किए जाने की सम्भावना भी है:  
(झ) क्या संसाधनों के संग्रहण से जैव विविधता के किस घटक को संकट उत्पन्न हुआ है और वह जोखिम जो पहुंच से उत्पन्न हो सकेगा:  
3. किसी राष्ट्रीय संस्था के ब्यौरे जो अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में भाग लेगी।  
4. पहुंच प्राप्त संसाधन का प्रारंभिक गंतव्य और उस अवस्थिति की पहचान, जहां अनुसंधान और विकास किया जाएगा।

5. आर्थिक और अन्य फायदे, इसके अंतर्गत वे भी हैं, जो पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और ज्ञान से अभिप्राप्त किसी बौद्धिक संपदा अधिकार से प्राप्त हुए हैं या उस देश को जिसका/जिसकी वह है, के लिए आशयित है या उत्पन्न हो सकेगा।
6. पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों या ज्ञान से अभिप्राप्त तकनीकी/वैज्ञानिक, सामाजिक या कोई अन्य फायदे जो या उस आदेश को जिसका/जिसकी वह है, के लिए आशयित है या उत्पन्न हो सकेगा।
7. पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के भारत/समुदायों को प्रवहित होंगे, उन फायदों का प्राक्कलन।
8. फायदे प्रभाजन के लिए प्रस्तावित तंत्र और व्यवस्थाएं।
9. कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी जाएं।

**भाग—ख**

### **घोषणा**

मैं/हम घोषणा करते हैं कि

- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से संसाधनों की पोषणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा,
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से पारिथितिकी प्रणाली को कोई जोखिम नहीं होगा,
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से स्थानीय समुदायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि किसी असत्य/गलत जानकारी के लिए दायी हूंगा/होंगे।

**हस्ताक्षर**

**नाम**

**शीर्षक**

**स्थान**

**तारीख**